पत्रांक – 29/बी०टी०इ०–11/2019–20/ 239 /बजट

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

के० के० खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 30/03/2020

विषय : **वित्तीय वर्ष 2020–21 के झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 सम्बद्ध अधिनियम–03, 2020, दिनांक–27.03.2020 द्वारा प्रावधानित राशि के व्यय की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट से सम्बन्धित झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 पर माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इसका प्रकाशन झारखण्ड अधिनियम संख्या–03, 2020, दिनांक–27.03.2020 के रूप में झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में हो गया है। अनुदान मांगें 2020–21 वेबसाईट– https://jkuber.gov.in/budgetjhr एवं https://10.92.194.10/budgetjhr 2020–21 पर भी उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त विनियोग अधिनियम के तहत् किये गये बजट प्रावधान का नियमानुसार व्यय दिनांक–01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में राज्य की संचित निधि से किया जा सकता है। राशि का व्यय करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाय :–

(i) स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेशों में बजट शीर्षों के साथ–साथ स्थापना व्यय से भिन्न व्यय की स्थिति में राज्य और केन्द्रीय स्कीम का कोड, स्कीम का नाम तथा स्कीम का वर्गीकरण यथा स्थापना व्यय/राज्य स्कीम/केन्द्र प्रायोजित स्कीम/केन्द्रीय सेक्टर स्कीम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(ii) स्थापना व्यय से संबंधित विपत्र में बजट शीर्ष का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(iii) प्रावधानित राशि का स्वीकृत्यादेश तथा आवंटनादेश Online निर्गत किया जाय।

(iv) Online निर्गत स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश की सूचनार्थ प्रतियाँ योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

30/3/20

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–29/बी०टी०ई०–11/2019–20/..239../बजट, राँची, दिनांक – 30/03/2020

प्रतिलिपि : मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/ विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के उप सचिव /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी जिलों के उप–विकास आयुक्त/सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी/ अवर सचिव, लेखा शाखा, योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय/राष्ट्रीय बचत/प्रेस शाखा/कोषागार शाखा/अंकेक्षण शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/पी०एम०यू० कोषांग, योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : 1. संबंधित विभाग की झारखण्ड बजट 2020–21 की बजट पुस्तिका।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी का 2020–21 का बजट भाषण।

30/3/20

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।